

भारत सरकार  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
केंद्रीय संचार ब्यूरो  
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

फाइल सं. 21/36/ईआरपी(बेसिल)/2526/ओपी

दिनांक: 07.07.2025

परामर्शिका

विषय: दिनांक 01.04.2025 या उसके बाद जारी अभियान के लिए अनुपालन रिपोर्ट और बिल प्रस्तुत करने के संबंध में।

सभी आउटडोर एजेंसियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 01.04.2025 या उसके बाद जारी अभियानों के लिए अनुपालन रिपोर्ट (फोटोग्राफ) और बिल केवल सीबीसी की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.cbcindia.gov.in/> पर लॉगिन करके ही जमा करें।

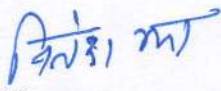
2. बिलों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, तथापि, बिलों और निरीक्षण रिपोर्ट की हार्ड कॉपी सुलभ संदर्भ के लिए आपके पास सुरक्षित रखी जानी आवश्यक है ताकि मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जा सके।

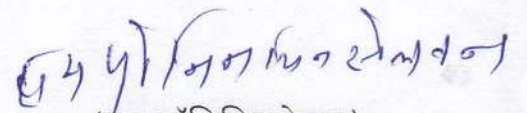
3. अनुपालन रिपोर्ट और बिल जमा करने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका/दिशानिर्देश सीबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसे निम्न लिंक द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है:

[https://www.cbcindia.gov.in/cbc/uploads/footer\\_document/Outdoor/OutdoorComplianceandBillSubmissionUserManual.pdf](https://www.cbcindia.gov.in/cbc/uploads/footer_document/Outdoor/OutdoorComplianceandBillSubmissionUserManual.pdf)

4. एजेंसियां उपर्युक्त ईआरपी पर अनुपालन रिपोर्ट और बिल जमा करने में किसी भी सहायता के लिए सहायता टीम (9810205148, 9289772910, 9289772911) से संपर्क कर सकती हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(नितेश झा)  
निदेशक (लेखा)

  
(एम. पॉन्नियन सेल्वन)  
निदेशक(ओएम)